(60)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
समक्ष : <u>डॉ0 मधु खरे</u>
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1048–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–04–2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार खातेगॉव, जिला–देवास द्वारा प्रकरण कमांक 67/अ–68/2014–15

....

श्रीमती रतनदेवी पति हरिनारायण अग्रवाल
निवासी–एरोड्रम रोड इन्दौर, जिला–इन्दौर, म0प्र0

.... आवेदिका

<u>विरूद्ध</u>

मध्यप्रदेश शासन तर्फे पटवारी
पटवारी हल्का नं0 37 खातेगांव
जिला–देवास

.... अनावेदक

....

श्री नितिन पंकज दुबे, अभिभाषक, आवेदिका
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, पैनल अभिभाषक, अनावेदक

....

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 23 सितम्बर 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार खातेगॉव, जिला–देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नम्बर 37 ग्राम खातेगांव जिला देवास ने न्यायालय तहसीलदार खातेगांव को एक प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश कर ग्राम खातेगांव की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 757 रकबा 0.210 हे0 मद नजूल में से पैकी रकवा 20X64 भूमि पर अतिकमण करना बताया। तहसीलदार ने दिनांक 9–3–15 को प्रकरण क्रमांक

67/अ–68/2014–15 पंजीबद्ध कर आवेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। आवेदिका ने दिनांक 04–04–2015 को कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया एवं दिनांक 08–04–2015 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से प्रकरण में कार्यवाही समाप्त करने हेतु संहिता की धारा 248 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 09–04–2015 के द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया। तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 09–04–2015 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि कस्बा खातेगांव स्थित भूमि सर्वे नं. 757 शासकीय नजूल भूमि न होकर आबादी भूमि है इस संबंध में आवेदिका द्वारा वर्ष 1925–26 के खसरे की प्रमाणित प्रति पेश की, जिसमें खातेगांव नगर के समस्त आबादी भूमि के सर्वे नम्बरों एवं रकबे की जानकारी दी गई है। वर्ष 1925–26 के खसरे में आबादी भूमि पर प्रेमराज जी कि धर्मशाला बनी होने का भी उल्लेख है। प्रेमराज पिता चुन्नीलाल कि मृत्यु के पश्चात प्रेमराज के वारिस होने के नाते उक्त भूमि पर पुत्र छगनलाल का नाम वर्ष 1945–46 के म्युनिसिपालिटी खातेगांव के रिकार्ड में दर्ज हुआ। छगनलाल की मृत्यु होने के पश्चात उक्त भूमि पर वारिस होने के नाते उनके पुत्र देवकुमार का नाम वर्ष 1973 में म्युनिसिपालिटी खातेगांव के रिकार्ड में दर्ज हुआ तथा देवकुमार की मृत्यु के पश्चात देवकुमार के वारिसगण शम्भुकुमार, श्रीमती अनिता एवं श्रीमती निशा का नाम म्युनिसिपालिटी खातेगांव के रिकार्ड में दर्ज हुआ। शम्भुकुमार, श्रीमती अनिता एवं श्रीमती निशा के द्वारा उक्त भूमि दिनांक 27–12–2010 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से आवेदिका को विकय की गई है। यह भी तर्क किया कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विकय पत्र को शून्य घोषित करने की अधिकारिता नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि 15 अगस्त 1950 के पूर्व के आधिपत्य के संबंध में तहसील

न्यायालय को धारा 248 के अन्तर्गत आवेदिका के विरूद्ध कार्यवाही करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। इस ओर तहसील न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तथा आवेदिका का आवेदन निरस्त कर दिया। अंत में तर्क किया कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार के अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर दी थी इस बीच तहसीलदार ने आवेदिका का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया है। अतः निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार को शासकीय नजूल भूमि पर आवेदिका द्वारा अतिक्रमण किये जाने बावत एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसपर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। तहसीलदार ने आवेदिका का धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करने सम्बन्धी आवेदिका का आवेदन निरस्त किया है। अभी प्रकरण में गुण–दोष पर निराकरण होना शेष है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने तहसीलदार को शासकीय नजूल भूमि रकवा 20X64 पर मकान बनाकर आवेदिका द्वारा अतिकमण किये जाने बावत एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसपर पंचों के हस्ताक्षर हैं, उक्त प्रतिवेदन के साथ खसरे की प्रति संलग्न है जिसमें प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नजूल भूमि अंकित है। इसी आधार पर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 248 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार ने दिनांक 9–4–15 को संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार में मानते हुये आवेदिका (इस न्यायालय में अनावेदक) के साक्ष्य के लिए निर्धारित किया, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

की धारा 248 के अन्तर्गत तहसीलदार को आबादी भूमि में कार्यवाही करने के अधिकार हैं। जहां तक आवेदिका अभिभाषक का यह तर्क कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन आदेश को इस न्यायालय में चुनौती देने के दौरान तहसीलदार ने दिनांक 1–5–15 को आवेदिका का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में त्रुटि की है। तहसीलदार ने प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया था, परन्तु आवेदिका तहसील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये जिसके कारण आवेदिका की अनुपस्थिति में तहसीलदार ने साक्ष्य का अवसर समाप्त किया है। चूंकि इस दौरान निगरानी इस न्यायालय में प्रचलित थी। अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करें तत्पश्चात प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें। इसी निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर